तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 53/2006	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/10/2018	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप=रूप में अभिलेख के अभिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र नामत अभिलेख को जब्ती करने तथा दावा प्रार्थी को बेदखली मुक्त करने प्रमुख रूप से निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त अभिलेख नगर पालिका के रिकार्ड में अभिलेख नहीं है। अभिलेख के सम्बन्ध में पीसीएस वाद पूर्व के लंबित होने का तथा रूपसिंह अभिलेख प्रमाणित है। अतः उपरोक्त अभिलेख जब्ती किये बगैर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया। अभिलेख के अभिवक्ता के निवेदन पर अभिलेख जब्ती न करते हुए जब्ती की कार्यवाही को स्थगित रखा जाता है। अभिलेख के सम्बन्ध में न्यायालय को आगे की प्राप्त सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजकर अभिलेख पत्रावली फैसल मुक्त।	